

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला- भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ब चावडिया

भू अभिलेख निरीक्षक नि. वाटान

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार

करेड़ा

की अनुशंभा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम गोपा लपुरा पटवार हल्का चावडिया तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी सम्वत् 2023-76 में खाता संख्या 30/100 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
	<u>गोपालपुरा</u>	<u>30</u> <u>100</u>	<u>व्यसिवाड़ी पति</u> <u>शामल कुमावत</u> <u>ई. व सो. चनेरिया</u> <u>लातेड़ा</u>	<u>व्यसिवाड़ी पति</u> <u>शामल</u> <u>कुमावत सो. चनेरिया</u> <u>लातेड़ा</u>

उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

दिनांक:-

क्रमांक/न्यायालय /2021

प्रतिलिपि:-

1- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2- प्रार्थी श्री



उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा जिला भीलवाड़ा